

न्यायालय:-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
तहसील बैहर, जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

वि.आप.प्रक.कमांक-96 / 2015

संस्थित दिनांक-27.01.2015

फाई.क.234503001132015

1-श्रीमती बुधियारिनबाई, उम्र-39 वर्ष, पति कोमलसिंह,
 2-कु. दिव्या, उम्र-12 वर्ष, पिता कोमलसिंह,
 3-कु. दीक्षा, उम्र-08 वर्ष, पिता कोमलसिंह,
 क. 02 व 03 ना.बा.वली माँ श्रीमती बुधियारिनबाई
 पति कोमलसिंह, जाति गोंड, सभी निवासी-ग्राम बोरी,
 थाना व तहसील बिरसा, जिला बालाघाट — — — — — आवेदिकागण

// विरुद्ध //

कोमलसिंह, उम्र-40 वर्ष, पिता मंगलसिंह, जाति गोंड,
 निवासी-ग्राम पंडरिया, थाना बिरसा, तहसील बिरसा,
 जिला बालाघाट म.प्र. — — — — — अनावेदक

// आदेश //

(आज दिनांक-26 / 03 / 2018 को पारित)

1- इस आदेश द्वारा आवेदिकागण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-125 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांकित-27.01.2015 का निराकरण किया जा रहा है।

2- आवेदिकागण का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका का विवाह अनावेदक से जाति रीति रिवाज अनुसार वर्ष 2002 में हुआ था। विवाह के पश्चात आवेदिका क.01, अनावेदक के घर ग्राम पंडरिया में पत्नी के रूप में दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगी थी। उभयपक्षों के दाम्पत्य संसर्ग से दो पुत्रियां कु. दिव्या एवं कु. दीक्षा उत्पन्न हुई थीं। अनावेदक पूर्व से विवाहित था, उसकी पहली पत्नी मंगलीबाई थी। मंगलीबाई को अनावेदक से कोई संतान नहीं होने के कारण अनावेदक ने मंगलीबाई की सहमति से आवेदिका क.01 से पाठ विवाह किया था। विवाह के पश्चात अनावेदक ने आवेदिका क.01 को सुखपूर्वक रखा था परंतु आवेदिका क.01 ने उसकी द्वितीय पुत्री कु.दीक्षा को जन्म दिया था, तब अनावेदक एवं उसकी पहली पत्नी, आवेदिका क.01 से कहते थे कि उसने पुत्र को जन्म नहीं दिया है, दो पुत्री हो

गई हैं। वह कहने लगे थे कि वह उसे नहीं रखेंगे एवं आवेदिका क.01 को मारपीट कर प्रताड़ित करने लगे थे। आवेदिका क.01 की द्वितीय पुत्री के जन्म के एक-डेढ़ वर्ष बाद अनावेदक की पहली पत्नी को अनावेदक से एक पुत्र हुआ था। उसके पश्चात् अनावेदक एवं उसकी पहली पत्नी आवेदिका क.01 के साथ अत्यधिक मारपीट करने लगे थे। दोनों ने आवेदिकागण को 6 वर्ष पूर्व घर से निकाल दिया था। डर के कारण आवेदिका क.01 उसकी दोनों पुत्रियों को लेकर उसके मायके ग्राम बोरी आ गई, तब से वह उसके मायके में निवास कर रही है। आवेदिका क.01 उसकी पुत्रियों को लेकर गांव समाज के लोगों के साथ दो-तीन बार अनावेदक के घर रहने के लिए गई थी किन्तु अनावेदक ने आवेदिकागण को अपने साथ रखने से मना कर दिया था और भरण-पोषण की व्यवस्था करने से इंकार कर दिया था। आवेदिका उसके मायके में निवास कर उसके माता-पिता के सहारे दोनों पुत्रियों का भरण-पोषण कर रही है। आवेदिका की दोनों पुत्रियां पढ़ाई करती हैं। उनके विद्या अध्ययन में आवेदिका क.01 को खर्च करना पड़ता है। आवेदिका क.01 को उसके खाने-पीने एवं कपड़ा, दवा आदि के लिए 3,000/-रुपये तथा आवेदिका क.01 की दोनों पुत्रियों के खाने-पीने एवं शिक्षा-दिक्षा के लिए 2-2 हजार रुपये का खर्च आता है, जो अनावेदक देने के लिए जिम्मेदार है। अनावेदक के पास 2.00 एकड़ कृषि भूमि है, जिसमें धान, चना, गेहू की फसल होती है। अनावेदक की ग्राम पंडरिया में किराना दुकान है, जिससे अनावेदक को 1,000/-रुपये प्रतिदिन आय होती है। अनावेदक को कृषि से लगभग 1,00,000/-रुपये की प्रतिवर्ष एवं किराना दुकान से 30,000/-रुपये प्रतिमाह की आय होती है। आवेदिकागण ने उनके आवेदन की प्रार्थना के अनुसार उन्हें भरण-पोषण राशि दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3— अनावेदक द्वारा आवेदिकागण के आवेदन पत्र का जवाब प्रस्तुत कर स्वीकृत तथ्य को छोड़कर आवेदन के संपूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुए विशेष कथन में बताया है कि अनावेदक पूर्व से विवाहित है। अनावेदक का विवाह मंगलीबाई से जाति रीति-रिवाज अनुसार सम्पन्न हुआ था, जिससे अनावेदक को तीन संतान पुत्री कु. सरबती, पुत्र नरेन्द्र एवं तारेन्द्र हैं। आवेदिका क.01 का विवाह वर्ष 1995 में ग्राम कटंगटोला(जमुनिया) में भोलाराम से हुआ था। उसके बाद आवेदिका क.01 भोलाराम को छोड़कर चली गई थी और दूसरा पति कर लिया था, जिसकी हत्या हो जाने के कारण आवेदिका क.01 उसके मायके में आकर निवास करने लगी थी, वहां पर अनावेदक का आना जाना होता था। इस कारण अनावेदक के आवेदिका क.01 से संबंध हो गए थे। जिससे आवेदिका क.02 एवं 03 उत्पन्न हुई थीं। अनावेदक की वैध विवाहिता पत्नी मंगलीबाई है। अनावेदक के पास ग्राम पंडरिया में 2.00 एकड़ एक

फसली कृषि भूमि है, जिससे अनावेदक को 25 विंटल धान होती है, जो लगभग 35,000/-रुपये की होती है। अनावेदक गरीब कृषक है, उसके पास आय का कोई साधन नहीं है। कृषि से होने वाली आय से ही अनावेदक का परिवार निर्भर है। इस कारण अनावेदक, आवेदिकागण को भरण-पोषण राशि देने में असमर्थ है। आवेदिका क.01 एक हृष्ट पुष्ट महिला है, जो मजदूरी कर 200/-रुपये प्रतिदिन आय अर्जित कर लेती है और अपना भरण-पोषण करने में सक्षम है। अनावेदक ने आवेदिकागण का आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

4— आवेदनपत्र के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु हैं :-

1. क्या आवेदिका क.01 अनावेदक की विवाहिता पत्नी है ?
2. क्या अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है ?
3. क्या आवेदिकागण अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है ?
4. क्या अनावेदक ने आवेदिकागण के भरण-पोषण करने में उपेक्षा की है और भरण-पोषण करने से इंकार किया है ?

निष्कर्ष के आधार एवं कारण:-

5— समस्त विचारणीय बिन्दु एक दूसरे से संबंधित हैं। प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो इसलिए उन पर एक साथ विवेचना की जा रही है।

6— आवेदिका बुधारिनबाई आ.सा.1 ने उसके मुख्य परीक्षण की साक्ष्य में उसके अभिवचन के अनुरूप कथन कर बताया है कि अनावेदक के साथ उसका विवाह वर्ष 2002 में जाति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था। विवाह के पश्चात वह अनावेदक के घर ग्राम पंडरिया गई थी। वहां पर आवेदिका छः साल तक रही थी। अनावेदक के घर में आवेदिका की दोनो पुत्री आवेदिका क.01, आवेदिका क.02 का जन्म हुआ था। उसके बाद अनावेदक एवं उसकी पहली पत्नी आवेदिका से यह कहते थे कि लड़की को जन्म देती है विवाद करते थे। अनावेदक ने आवेदिका के साथ मारपीट की थी। इस कारण आवेदिका उसकी पुत्रियों को लेकर उसके मायके ग्राम बोरी आ गयी थी। छः वर्ष से आवेदिका उसके मायके में रह रही है। उसके बाद अनावेदक आवेदिका को कभी लेने नहीं आया था। उसके बाद आवेदिका उसके पिता एवं गांव के अन्य लोगो के साथ अनावेदक के घर गई थी। तब अनावेदक ने दो चार दिन आवेदिका को अपने साथ रखकर भगा दिया था। आवेदिका एवं अनावेदक गोंड जाति के हैं। आवेदिका की अनावेदक के साथ गोंड जाति की रीति रिवाज के अनुसार पाठशादी हुई थी। आवेदिका जब से उसकी पुत्रियों सहित अनावेदक के घर से आई

है तब से अनावेदक उनका कोई भरण-पोषण नहीं दे रहा है। आवेदिका की पुत्रियां पढ़ाई करती हैं। आवेदिका एवं उसकी पुत्रियों को लगभग नौ हजार रुपए का खर्च आता है। अनावेदक के पास ग्राम पंडरिया में दो एकड़ कृषि भूमि है जिसमें धान, चना, गेहू की फसल होती है। अनावेदक को खेती से प्रतिवर्ष एक लाख रुपए की आय होती है। अनावेदक की ग्राम पंडरिया में किराना की दुकान है जिससे अनावेदक को एक हजार रुपए प्रतिदिन की आय होती है। आवेदिका के पास उसकी पुत्रियों के जीवन यापन के लिए कोई साधन नहीं है। आवेदिका उसके मायके वालों के सहारे रह रही है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने अनावेदक के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि अनावेदक की भरण-पोषण राशि देने की जवाबदारी नहीं है। साक्षी ने अनावेदक का परित्याग किया है। अनावेदक ने साक्षी को घर से नहीं निकाला था। आवेदिका ने दस्तावेजी साक्ष्य में उसकी पुत्री कु. दीक्षा एवं दिव्या के दाखिला खारिज प्रमाण पत्र क्रमशः प्रदर्श ए-1, ए-2 पेश किए हैं। अनावेदक के नाम से ग्राम पंडरिया में भूमि स्थित है उसके नक्सा खसरा की पटवारी द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि, अनावेदक द्वारा आवेदिका के साथ विवाह करते समय एवं अनावेदक की पहली पत्नी मंगलीबाई द्वारा एक रसीद लिख कर दी थी उसकी मूल रसीद, आवेदिका द्वारा प्रकरण पेश करने के बाद अनावेदक ने सामाजिक बैठक बुलाई थी वहां पर अनावेदक ने पंचों के समक्ष एक इकरारनामा लिखा था उसकी मूल प्रति प्रस्तुत की हैं। बिहारीसिंह आ.सा. 02, देवलाल आ.सा.03 ने उनके मुख्य कथन की साक्ष्य में आवेदिका की साक्ष्य की पुष्टि की है।

7- अनावेदक कोमलसिंह अना.सा.01 ने उसके मुख्य परीक्षण की साक्ष्य में उसके अभिवचन के अनुरूप कथन कर बताया है कि उसका मंगलीबाई के साथ जाति रिवाज अनुसार विवाह हुआ था। मंगलीबाई से अनावेदक के दो पुत्र, एक पुत्री हैं जो अनावेदक के साथ निवास करते हैं। आवेदिका का विवाह जाति रिवाज के अनुसार ग्राम कटंगटोला जमनिया में 24 वर्ष पूर्व भोलाराम के साथ हुआ था। उसके बाद आवेदिका भोलाराम को छोड़कर दूसरे व्यक्ति को पति बनाकर ग्राम भगोली में रहने लगी थी। वहां पर वह करीब सात-आठ साल रही थी उसके बाद आवेदिका के पति की हत्या हो गई थी। उसके बाद आवेदिका उसके मायके ग्राम मदनटोला में रहने लगी थी। अनावेदक का आवेदिका के घर आना जाना था। इस कारण अनावेदक के आवेदिका के साथ शारीरिक संबंध हो गए थे। अनावेदक की आवेदिका से दो पुत्रियां हुई थी। अनावेदक की पहली पत्नी मंगलीबाई है। अनावेदक के पास दो एकड़ कृषि भूमि है एवं वह मजदूरी करता है। अनावेदक भरण-पोषण की राशि देने में असमर्थ है। वह भरण-पोषण की राशि नहीं दे सकता है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार

किया है कि उसके सामने प्र.पी.03 का दस्तावेज लिखा गया था। उक्त दस्तावेज की इबारत उसके सामने उसके बताए अनुसार लिखी गई थी। अनावेदक आवेदिकागण को भरण-पोषण की कोई राशि नहीं दे रहा है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने दिनांक 22.04.2002 को आवेदिका से पाठशादी की थी। उसकी जाति में पाठशादी का रिवाज है। साक्षी की कृषि भूमि में धान, चना, गेहू की फसल होती है एवं किराना दुकान से प्रतिदिन एक हजार रुपए की आय प्राप्त होने से इंकार किया है। बाबूराम अना.सा.02 ने उसके मुख्य परीक्षण की साक्ष्य में अनावेदक की साक्ष्य के समान कथन कर अनावेदक की साक्ष्य की पुष्टि की है।

8— उभय पक्ष की सम्पूर्ण साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आवेदिका स्वयं ने मंगलीबाई को अनावेदक की प्रथम पत्नी बताई है। आवेदिका ने यह जानते हुए कि अनावेदक पूर्व से विवाहित था अनावेदक की प्रथम पत्नी मंगलीबाई थी इसके उपरांत आवेदिका ने अनावेदक से विवाह किया था। इस कारण आवेदिका को अनावेदक की वैध विवाहिता पत्नी नहीं मानी जाती है। इस कारण आवेदिका क.01 अनावेदक से भरण पोषण की राशि प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।

9— प्रकरण में आवेदिकागण द्वारा प्रस्तुत प्र.पी.01 एवं 02 के दाखिल खारिज प्रमाण पत्रों में आवेदिका क.02 एवं 03 की माता का नाम आवेदिका बुधियारिनबाई एवं पिता के नाम अनावेदक कोमलसिंह लिखा है। अनावेदक ने भी उसकी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि आवेदिका क.01 एवं 02 उसकी पुत्रियां हैं। उभयपक्ष की साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि आवेदिका क.01 एवं अनावेदक के मध्य विवाद होने पर सामाजिक बैठक में समाज के लोगों द्वारा समझाईस दिए जाने पर अनावेदक ने आवेदिका को अपने साथ दो-चार दिन रखकर भगा दिया था। इससे स्पष्ट है कि आवेदिका एवं अनावेदक के मध्य संबंध ठीक नहीं थे। इस कारण आवेदिका क.01 अनावेदक की पुत्रियां आवेदिका क.02 एवं 03 के साथ उसके मायके में रह रही है। आवेदिका क.02 एवं 03 के अनावेदक से प्रथक निवास करने का पर्याप्त कारण प्रकट होता है। आवेदिका क.02 एवं 03 अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। उनके पास अपना भरण पोषण करने का कोई साधन नहीं है। अनावेदक ने उनके भरण पोषण में उपेक्षा की है। अनावेदक के पास कृषि भूमि एवं किराना की दुकान है, जिससे वह आय अर्जित करता है। अनावेदक उसकी पुत्रियों का भरण पोषण करने में सक्षम व्यक्ति है। अवयस्क पुत्रियों के भरण पोषण का दायित्व उनके पिता पर होता है। किंतु अनावेदक ने बिना किसी कारण के उसकी पुत्रियों के भरण पोषण की उपेक्षा की है। अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है। वर्तमान समय की मेंहगाई आदि को दृष्टिगत रखते हुए आदेश किया जाता है कि अनावेदक आवेदिका क.02 एवं 03

को क्रमशः 1,000-1,000/- (एक हजार-एक हजार) रूपए प्रतिमाह की दर से भरण-पोषण की राशि आवेदन प्रस्तुति दिनांक से अदा करे तथा प्रत्येक आगामी माह के भरण-पोषण की राशि उपरोक्त दर से प्रत्येक माह की अंग्रेजी तारीख-08 को निरंतर अदा करता रहे। तदनुसार आवेदन निराकृत किया गया।

10- अनावेदक, आवेदिका क.02 एवं 03 का व्यय वहन करेगा।

11- आवेदिका क.02 एवं 03 को आदेश की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

आदेश खुले न्यायालय में पारित कर मेरे निर्देश पर टंकित किया।
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

(दिलीप सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
तहसील बैहर, जिला बालाघाट

(दिलीप सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
तहसील बैहर, जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)